राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11337/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राकेश अग्रवाल सी/ओ, सहारा क्लीनिक, अंजन्ता टांवर, न्यू बस स्टेण्ड के सामने बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार सहकारी समिति, राज. सरकार, जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से प्रतिभा शास्त्री, सहायक रजिस्ट्रार, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-12-16 के द्वारा पंजीकृत संस्था का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय में जमा होने पर संस्था का अस्तित्व क्या होगा के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि चाही गई सूचना व्याख्यात्मक सूचना है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में नहीं आती है, अतः अपीलार्थी को पत्र दिनांक 10-1-17 से संसूचित कर दिया गया था कि वांछित सूचना प्रश्नात्मक और व्याख्यात्मक होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 15-1-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं व्याख्यात्मक नहीं है, अतः सूचना दिलवाई जावे।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार 'सूचना' की परिभाषा में आती है एवं न ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(जे) के तहत सूचना के अधिकार की परिभाषा में आती है। अधिनियम, 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना वही चाही जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से नियमों की व्याख्या करने अथवा उनके द्वारा चाहे गये प्रश्नों का प्रतिउत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं अपीलोत्तर विधिसंगत है। तदुनसार प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 27-2-17 भी विधिसंगत है।

9. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त